RAJYA SABHA

Monday, the 23rd March 1992/3 Chaitra, 1914 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: I refer with profound sorrow to the passing away of Dr. Sankata Prasad, a former Member of this House from State of Uttar Pradesh on the 19th March, 1992.

Born in March 1927 at village Akhtiyarpur, in District Sitapur of Uttar Pradesh, he had his education at Y. D. College, Lakhimpur Uttar Pradesh. A medical practitioner in Homoeopathic system of medicine, Dr. Prashad worked steadfastly for the upliftment and welfare of the Scheduled Castes and other weaker sections of the society. He was the Chairman of the Uttar Pradesh Homoeopathic Madicine Board. He served as a Member of the Lok Sabha from 1967 to 1977 and t his House from April 1982 to December 1984 before again being elected to the Lok Sabha in December 1984 He was a Member of the Committee on Public Undertakings for 1985-86. Apart from welfare of Scheduled Castes, another social activity which he used to undertake was serving the poor by dispensing homoeopathic medicines free of charge.

We deeply mourn the passing away of Dr. Sankata Prasad.

I request Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in silence for one minute.)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Integrated rural handloom development scheme

*321. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ†:
SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the names of the villages and textile mills alongwith the names of the districts and States where these are situated which have been taken over by the Integrated Rural Handloom Development Scheme; and

(b) the details of the scheme formulated for their development?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) एकीकृत ग्रामीण हथकरघा विकास योजना नामक कोई योजना नहीं है । यद्यपि अभी हाल ही में एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना नामक एक योजना लागू की गई है । तथापि वस्त्र मिलें इस योजना में शामिल नहीं हैं । एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना अभी हाल ही में घोषित की गई है और राज्य सरकारों को ग्रामों का पता लगाने के लिए परिचालित की गई है ।

---

*The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Sushma Swaraj.

(ख) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना में चुनिंदा बुनकर बाहुल्य ग्रामों में हथकरघा बुनकरों का विकास करना प्रस्तावित है । इस योजना में ग्रामों की विशिष्ट आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा और विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ-साथ निम्नलिखित सुविधाएं दी जायेंगी ।

(1) बुनकरों की कार्यकौशलता उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण, (2) आधुनिकीकृत करघे, (3) यदि आवश्यक हुआ तो सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, (4) कार्यशाला-सह-आवास (5) अवस्थापना सुविधाएं जैसे :— नालियों का निर्माण, स्कूल भवनों में सुधार, यानोंग खुदरा विक्रय केंद्र ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों की दुर्दशा किसी से भी छिपी हुई नहीं है । अभी पिछले सत्र में भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने. . . .

श्री सभापति : आप संक्षेप में सवाल पूछ लीजिए । (**व्यवधान**) सवाल कर लीजिए (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह इतनी भूमिका बहुत आवश्यक है (**व्यवधान**)

श्री सभापति : भूमिका सब जानते हैं । सब पढ़े लिखे लोग हैं यहां (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो बात इन्होंने कहीं थी वह तो बतानी पड़ेगी । (**व्यवधान**)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: How can you be so sure, Sir?

श्री दीपेन घोष : पढ़े लिखों को भी जानकारी देनी चाहिये (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : इतने में तो भूमिका और उपसंहार भी. . . (**व्यवधान**) हो जाता ।

श्री सभापति : जल्दी सवाल कर लिजिए ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजना बनाते समय सरकार ने यह लक्ष्य रखा था कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक 60 फीसदी बुनकरों को कोआप्रेटिव क्षेत्र के अन्दर लाया जाएगा ? क्या यह बात भी सही है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक एक तिहाई बुनकर भी कोआप्रेटिव क्षेत्र में नहीं आए ? यह जो योजना आपने शुरू की है इसकी तफसीलात देखने से यह दुख होता है कि इसमें कुछ नया नहीं है । केवल इसका नाम नया है । इसकी तफसील से कुछ नया नहीं लगता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यह जो योजना आपने शुरू की है यह अब तक की चली आ रही प्लांड स्कीमों से किस मायने में भिन्न है और यह योजना कितने फीसदी बुनकरों को कोआप्रेटिव क्षेत्र में ले आएगी ?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन साहब, जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना के टारगेट की बात है इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना में 60 प्रतिशत बुनकरों को कोआप्रेटिव सेक्टर में लाने वाली बात की गयी और सातवीं पंचवर्षीय योजना तक कितना अचीवमेंट हुआ है, यह माननीय सदस्या जानना चाहती हैं तो इनके फिगर्स मैं अलग से भिजवा दूंगा । जहां तक इस योजना की बात की गयी है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना जो अभी हाल ही में 3 महीने पहले घोषित की गयी है इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि 24 गांव प्रतिवर्ष लें । जहां वीवर्स ज्यादा रहते हैं और जहां उनकी स्थिति ज्यादा खराब है वहां के लिए यह योजना बनायी गयी है। हम लोग सारी फैसिलिटीज एक जगह एक गांव में देना चाहते हैं । इस योजना के अंतर्गत हमने नया यह किया है कि हमने डी०आर डी०ए० के माध्यम से और केन्द्रीय सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वीकृति से यह योजना बनाई है

जिसमें 25 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार खर्च करेगी और 15 लाख रुपए डी.आर.डी.ए० के माध्यम से वहां गांवों के विकास पर खर्च किया जाएगा । मैं समझता हूं कि यह एक नया प्रयोग है जिसको प्रारम्भ करने से मालूम पड़ सकेगा कि इसके नतीजे क्या होते हैं । इसको लेकर यह हम नहीं तय कर सकते हैं कि कितने लोग कोआपरेटिव सेक्टर में आ सकेंगे । यह योजना समग्र विकास की है जहां पर बुनकरों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको लूम दिये जाएंगे और गांवों में जो दूसरी फैसिलिटीज की कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मंत्री जी का उत्तर अत्यंत दुखदायी है । यदि संबंधित मंत्री जी को यह नहीं पता है कि पिछली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था और उसमें टारगेट क्या था तो वे आंकलन कैसे कर सकेंगे । उन्हें यह नहीं मालूम कि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था और सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था । मुझे मंत्री जी का उत्तर सुनकर बहुत दुख हुआ । खैर यह जो योजना आपने शुरू की है उसी के बारे में पूछ लेती हूं... (**व्यवधान**) केसरी जी, सुनने दीजिए उनको, वरना वे जवाब नहीं दे पाएंगे । आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में... (**व्यवधान**)

मंत्री जी, आपने यह कहा है कि इस योजना को आपने स्टेट्स में सरकुलेट किया है कि विलेजेज को आइडेंटीफाई किया जाए । पहली बात तो मैं जानना चाहती हूं कि जो गांव इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने हैं उनके चयन का आधार क्या होगा । दूसरा, आपने कहा कि केवल 24 गांव हर साल आएंगे । तो क्या हर स्टेट से एक भी गांव इसमें आप ले सकेंगे, क्योंकि केवल 24 गांव आपने इसके अंदर रखे हैं ?

मैं आपसे फिर कह दूं कि यह योजना अभी तक चली आ रही चालू स्कीमों का ही एक घिसापिटा स्वरूप है वरना आज जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने खड़ी थी वह थी बुनकरों को स्टेबुल और रीजनेबुल प्राइस पर यार्न सप्लाई करने की । आपने योजना के स्वरूप की जितनी तफसील दी है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप किस तरह से हथकरघा बुनकरों को स्टेबुल और रीजनेबुल प्राइस पर यार्न सप्लाई करके उनकी दुर्दशा का उद्धार करेंगे इसके बारे में आपको क्या कहना है ।

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्या का जो क्वेश्चन है उससे हटकर वे सारे सवाल कर रही हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी । क्या मेरा सवाल अप्रासंगिक है... (**व्यवधान**)

श्री अशोक गहलोत : पहले मैं पूरा उत्तर तो दे दूं उसके बाद आप प्रोटेक्शन की बात कीजिएगा ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या मेरा एक भी सप्लीमेंट्री इर्रेलेवेंट है । क्या मेरा पूरक प्रश्न मेरे मूल प्रश्न से नहीं निकलता है ।

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, मूल प्रश्न इनका... (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मंत्री जी प्रश्न में से निकालना चाहते हैं... (**व्यवधान**)

श्री अशोक गहलोत : यह बात ठीक कह रहे हैं आप । मूल प्रश्न हथकरघा ग्रामीण विकास योजना... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आप फसाना चाहते हैं.. (**व्यवधान**)

SHRI DIPEN GHOSH: Even the learned people require some inmormation.

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन साहब, मूल प्रश्न एकीकृत हथकरघा ग्रामीण योजना से संबंधित है । यह योजना तीन महीने

पहले लागू हुई है इसलिए कोआपरेटिव सेक्टर में चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने परसेंट था उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना है, यह बिल्कुल मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है, इसलिए मैंने कहा कि आपका मूल प्रश्न से संबंधित नहीं लगता है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : नयी योजना बनायी जाएगी तो पुरानी योजनाओं का आंकलन करके ही बनाई जाएगी । यह तो सबसे पहले कपड़ा मंत्री को पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं।

श्री अशोक गहलोत : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमने जो योजना बनाई है, यह जैसा मैंने कहा कि जो हमारे ट्रेडीशनल क्राफ्ट्समैन हैं, जो वीवर्स हैं, गांव में रहते हैं, जिनका जहां ज्यादा कन्सन्ट्रेशन है उनकी माली हालत को सुधारने के लिए यह है । इसलिए हमने इसका नाम दिया है एकीकृत हथकरघा विकास योजना । इसमें गांवों के विकास की बात भी साथ में की गयी है । इसलिए डी०आर०डी०ए० को साथ में लिया गया है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह योजना अभी तीन महीने पहले शुरू की गयी है । हमने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है और 9 स्टेट गवर्नमेंट्स ने हमारी स्कीम को मंजूर किया है । इसलिए 24 गांव हमने 1991–92 के लिए लिये थे। अभी 1992–93 के लिए हम वहां पर 24 गांव लेंगे ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : गांव के चयन का आधार क्या होगा ? मेरा सवाल तो इतना था, केवल।

श्री अशोक गहलोत : आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे हैं, पहले ही आप हर क्वेश्चन को वापिस पूछ रही हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा । आपको इतनी क्या जल्दी है कि मेरी बात हुई नहीं, मैं बैठा ही नहीं, उसके पहले ही आप बोल रही हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अच्छा, बताइये।

श्री अशोक गहलोत : गांव के चयन का आधार हमने यही रखा है, चेयरमैन सर, कि एक तरफ हमने स्टेट गवर्नमेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि आप बतायें कि किन गांवों में ऐसी योजना की जरूरत है, जहां इंटेग्रेटिड विकास हो सके । वह हमें जिले के नाम बतायेंगे और उसके बाद जिले में, जो मैंने कहा कि डी०आर०डी०ए० की एक कमेटी बनेगी जिला स्तर पर जिसमें हैंडलूम कार्पोरेशन के भी मेम्बर होंगे, हमारे वीवर्स सेंटर्स के भी मेम्बर, होंगे वह मिल करके गांव में पता लगायेंगे कि किन गांवों में ऐसे वीवर्स रहते हैं, जिनकी माली हालत ज्यादा खराब है ।

उसको आधार बना कर हम योजना बनायेंगे और गांव का चयन करेंगे ।

श्री सभापति : डिस्ट्रिक्ट जो है, वह प्रदेश की सरकार चुनेगी और फिर कमेटी गांव चुनेगी ।

श्री अशोक गहलोत : जी, हां ।

SHRI PRAGADA KOTAIAH: What the Textiles Minister has stated in his answer are only the Plan scheme being implemented for over forty years in this country after the introduction of the Handloom cess. Act in 1953 by Shri T. T. Krishnamachari. Practically there is no visible improvement in the living conditions of the handloom weavers because they did not touch the fundamental issues. I would like to know from the honourable Minister of Textiles what arrangements are being made to enforce the Handloom Reservation Act passed in 1985 and also to enforce the statutory obligation that the mills should produce hankyarn to the extent of 50 per cent of the marketable yarn. I would also like to know what arrangements are being made to procure the same and distribute it to the handloom weavers at stable and reasonable rates.

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, क्योंकि माननीय कोटैया जी तो हमारे

हैंडलूम को लेकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह लगाये हुए हैं, इसलिए मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए कहना चाहूंगा कि हैंडलूम की जो सबसे बड़ी प्राब्लम है, इसकी तरफ इन्होंने बात कही है, वह प्राब्लम है हैंडलूम की डिमांड क्रियेट करना । जब तक हम हैंडलूम की जो सप्लाई है, उसमें डिमांड नहीं बढ़ायेंगे तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, चाहे हम यार्न की बात करें चाहे हम कोई हैंडलूम की समस्या की बात करें ।

इसलिए हमने जो मार्केटिंग डिवेलपमेंट फंड की स्कीम चालू कर रखी है जनता बजाय के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हैंडलूम वीवर्स को अधिक से अधिक काम मिल सके। सरकारी विभागों में हमारी कोशिश है कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं, उनको हमने लिखा है कि आप हैंडलूम के आईटम्स को प्रायरटी दें और इसके लिए आपको यह जान कर खुशी होगी कि हमारे रेल मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है और अभी हाल ही में हमारी गृह मंत्री, श्री एस० बी० चव्हाण जी से इस संबंध में लम्बी बैठक हुई है हैंडलूम वीवर्स की समस्या को लेकर और उन्होंने यह स्वीकार किया कि पैरा-मिलिटरी फोर्सेज के हम जितनी भी आईटम्स हैं, उसमें हम हैंडलूम को प्राथमिकता देंगे और हमारी कोशिश है कि हम जितने भी अन्य विभाग हैं, उनमें भी हैंडलूम की मांग को बढ़ावा दे सकें और हैंडलूम आईटम्स को हम वहां पर अधिक से अधिक स्वीकार करा सकें, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके।

इसके साथ-साथ हम सारी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को लिख रहे हैं कि वह भी हैंडलूम के जो वस्त्र हैं, या अन्य आईटम्स हैं, उनको खरीदने के लिए प्रायरटी तय करेंगे । जब तक मांग नहीं बढ़ेगी, तब तक वीवर्स की समस्या का समाधान नहीं होगा । तो मुख्य समस्या जो है, वह हैंडलूम की आइटम्स की मांग का कम होना है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से भी निवेदन करना चाहूंगा और माननीय सदस्यों से भी कि आप के संरक्षण जब तक हम लोग हैंडलूम के लिए भावनात्मक संबंध नहीं बढ़ायेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है ।

श्री राज मोहन गान्धी : सभापति जी, मंत्री जी ने अभी जो कोटैया जी का प्रश्न था कि रिजर्वेशन एक्ट का एनफोर्समेंट करायेंगे या नहीं, उसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

दूसरे प्रश्न का उत्तर जरूर दिया है, लेकिन पहला प्रश्न जो था, वह मैं भी दोहराना चाहता हूं कि यह जो रिजर्वेशन एक्ट है हैंडलूम का, उसका आप एनफोर्समेंट कराने वाले हैं या नहीं ? और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, यह सवाल पहले भी कई बार आ चुका है और माननीय श्री कोटैया जी को भी मालूम है कि अभी तीन दिन पहले इनको . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : अभी दुबारा बता दीजिए ।

श्री अशोक गहलोत : इसमें सरकार हथकरघा विकास के लिए वचनबद्ध है और जहां तक रिजर्वेशन एक्ट की बात है, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है । स्टे के कारण लागू नहीं कर पा रहे हैं । हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी स्टे समाप्त हो सके जिससे कि हैंडलूम रिजर्वेशन एक्ट को हम लागू कर सकें ।

श्री राज मोहन गान्धी : इस कोशिश का क्या सबूत है ?

श्री अशोक गहलोत : यह सबूत है माननीय चेयरमैन साहब कि अभी हाल ही में हमने सैन्ट्रल लॉ एजेंसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जनवरी के अंतिम सप्ताह सुनवाई के लिए तारीख फिक्स कर दी थी । अनफार्चुनेट्ली उस दिन वह केस लग नहीं पाया । इसलिए हम कोशिश

करेंगे कि वहां पर तारीख जल्दी लग सके। यह हमारी कोशिश है।

श्री हेच० हनुमनतप्पा : सर, मंत्री जी, ने अपने उत्तर में कहा कि 9 स्टेट गवर्नमेंट्स ने मंजूरी दिया है, क्या यह सैन्ट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है कि स्टेट की मंजूरी होने के बाद ही इंप्लीमेंट होगा, यह एक क्लैरीफिकेशन मैं चाहता हूं ? दूसरे मंत्री जी ने हैंडलूम के साथ-साथ खादी पर भी जोर दिया कि मैं स्टेट्स के मुख्य मंत्रियों को लिखूंगा वैसा, लेकिन सारे देश की खादी संस्थाओं में करोड़ों रुपये की खादी पड़ी हुई है। उसको नहीं बेच सके इसलिए रोजगार बंद हो गया और काम नहीं चल रहा है, इसके बारे में भी मंत्री जी कुछ खादी की खपत के लिए, बिक्री के लिए कुछ योजना उसके साथ-साथ रखेंगे ?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन साहब, खादी मंत्रालय तो बिलकुल अलग है, इसलिए ताल्लुक नहीं रखते।

श्री सभापति : उनका कहना यह है कि उसमें भी हैंडलूम का काम चलता है। हैंड स्पन का कपड़ा बुनो या मिल का कपड़ा बुनो।

श्री अशोक गहलोत : सर, माननीय सदस्य ने पहला सवाल किया है कि जो राज्य सरकारें अगर मंजूरी नहीं देती हैं तो हां क्या स्कीम लागू होगी तो मैं कहना चाहूंगा कि मंजूरी की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों के कंस्लटेशन से गांव सिलेक्ट करते हैं। 9 प्रदेशों से अभी तक नाम सजेस्ट कर सके हैं। बाकी क्षेत्रों के नाम सजेस्ट नहीं किए हैं। जहां तक खादी संस्थाओं का हैंडलूम का दुकान चलाना है उसके मदद करने की बात है हम लोग पूरी मदद देंगे।

MR. CHAIRMAN: Dr. Sivaji.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, you are aware, as the former Rajyapal of Andhra Pradesh, that the total number of weavers in that State is more than one-fifth of the national figure and it is also a fact that in several places like Mangalagiri, etc...,

MR. CHAIRMAN: Pleace put your question.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI,... many handloom weavers committed suicide successfully .... (*Interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: You please put your question ... (*Interruptions*)...

DR. YELAMANCHILI SIVAJI:... and the honourable Minister visited those places also. I would like to know how many villages in Andhra Pradesh have been identified under the Integrated Handloom Villages Development Scheme. Is there any proposal under the consideration of the Government under the modernisation scheme to upgrade the handlooms to powerlooms? Sir, it is a fact that there are several middle men between the producer and the consumer like master weavers and other middle men at every level... (*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The question is about the Integrated Handloom Villages Development Scheme.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I am coming to my question, Sir. I would like to know whether there is any proposal with the Government to supply yarn direct to the weavers and market their finished products so that the middle men can be avoided under this scheme.

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है अभी तक कोई नाम हमारे पास गांव का नहीं आया है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो भी रेकमेंड करेगी उसको हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है।

डा० अबरार अहमद : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हथकरघा विकास के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को मात्र पैसे का आवंटन करती है, बाकी सारा नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है तथा ऐसी राज्य सरकारें जो केन्द्र द्वारा समुचित राशि देने के बावजूद भी वहां हथकरघे के विकास के लिए प्रोपर कार्य नहीं करती, उनके संबंध में आप क्या एक्शन लेंगे ? जैसे मैंने आपको . . . (**व्यवधान**) सवाई माधोपुर के अन्दर हथकरघा बहुत ज्यादा है और माननीय मंत्री जी की व्यक्तिगत जानकारी में है कि वहां की राज्य सरकार गए तीन सालों से उनको सूत नहीं देती है । मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं और वे लोग भी आकर मिले हैं तथा जब-जब भी माननीय मंत्री जी से मिले हैं उन्होंने कहा है कि यह राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है हम उनको मात्र पैसे देते हैं । तो इस प्रकार से जो राज्य सरकार है उन गरीब लोगों को जिनके लिए योजना है सूत नहीं देती है, तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है कि जिनके लिए योजना है उन तक इसका लाभ पहुंचे ?

श्री अशोक गहलोत : चैयरमैन सर, राज्य सरकार के माध्यम से कोई योजना लागू हो सकती है । जो भी स्कीम बनती है उसे राज्य सरकार के जो हैंडलूम कार्पोरेशन या अपेक्स बाडी है, उनके माध्यम से हम लागू करते हैं । अब जहां तक सदस्य ने सवाई माधोपुर की जो बात की है, यह बात मेरे ध्यान में भी आई है और हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को कहलवा रहे हैं कि आप इस बारे में जांच करें और जहां भी कमी है, उसे पूरा करने की कोशिश करें और जब हम रिव्यू करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह जो स्कीम है, वह ठीक ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है ।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यह जो आपकी इंटीग्रेटेड स्कीम और माडर्नाइजेशन वगैरा की आदर्श बातें तो बहुत रोज से हो रही हैं, लेकिन हैंडलूम वीवर्स की जान बचाने के लिए जो तत्काल बात की जा सकती है, वह यह है कि उनको आप टैक्स फ्री या सब्सिडाइज्ड रेट पर सूत उपलब्ध करायें । क्या सरकार ऐसा करके उनकी जान बचायेगी ?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, जनता क्लाथ की स्कीम तो पहले से ही चल रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि साढ़े चार सौ मिलियन मीटर हमने वर्ष 1991–92 में रखा था जनता क्लाथ के हिसाब से . . .

श्री सभापति : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आप सब्सिडाइज्ड देंगे ?

श्री चतुरानन मिश्र : आप टैक्स फ्री चाहे एक्साइज, चाहे सेल्स टैक्स, जो भी हो, टैक्स फ्री सूत उनको आप देंगे तो वह अपने आप कम्पीट कर सकते हैं । क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, मैं इसी बारे में निवेदन करना चाहता था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनता क्लाथ स्कीम को फेज आउट करने की बात थी, वह हमने इसी वर्ष के लिए रखा है क्योंकि इस वर्ष में हमारे हैंडलूम वीवर्स की खराब हालत को देखते हुये हमने इस वर्ष भी साढ़े चार सौ मिलियन मीटर कपड़ा इसलिए रखा था । 137 करोड़ की योजना के अन्तर्गत जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो । अब जैसा कि माननीय उदस्य कह रहे हैं, यार्न को अलग से टैक्स फ्री देने के लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम अभी दो साल बेल काटन की इंपोर्ट कर रहे हैं । यह सिर्फ हैंडलूम बोर्डस के लिए कर रहे हैं, उसको हम कंवर्ट करवायेंगे मिलों के माध्यम से और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज्यादा-से-ज्यादा यार्न सप्लाय किया जाये ।

श्री सभापति : टैक्स फ्री देंगे या सब्सिडाइज देंगे ?

श्री अशोक गहलोत : चैयरमेन सर, जो दो लाख बेल आ रही है काटन की वह सर्फ इस काम के लिए जा रही है। वह इनको सस्ती मिलेगी ।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मेरा जो क्वेश्चन था, आप भी पूछ चुके हैं, अब दोनों मिलकर चुप हो जायें तो यह भी एक रास्ता है, लेकिन जब दोनों ने कहा है तो उन्हें जवाब देना चाहिये ?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, जो हैंक यार्न बनता है, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती ही नहीं है । तो आप कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं ?

श्री चतुरानन मिश्र : चाहे सेल्स टैक्स हो या जो भी हो, अगर वह उनको सब्सिडाइज रेट में दें तो वह अपने आप कंपीट कर लेंगे और आपके सारे कष्ट दूर हो जायेंगे ।

श्री अशोक गहलोत : चैयरमैन सर, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हम दो लाख बेल काटन की इंपोर्ट कर रहे हैं . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री चतुरानन मिश्र : हम इन टोटल आपसे कह रहे हैं कि अगर उनको वह सब्सिडाइज्ड रेट में दीजिये तो मामला हल हो जाएगा । बाकी आदर्श चीजें आप पीछे कीजिएगा । हम लोगों की जिंदगी में यही कर दीजिये ।

श्री अशोक गहलोत : मैं यही कहने जा रहा हूं कि वह रास्ता अपने आप हो जाएगा जब उनको सब्सिडाइज्ड मिलेगा ।

SHRI S. MADHAVAN: After the liberalised industrial policy and competitive economic development... (*Interruptions*) will the Government continue to give an assurance of supply of yarn to the handloom sector under Voluntary Scheme and encouraging cooperative spinning mills, giving preference to them, to supply yarn to the handloom sector and implementing the reservation policy? There is a doubt among the handloom sector people, especially in cooperative sector, after the industrial policy has been announced in this House. Will the Minister assure that the policy of the Congress Government followed for the last 40 years to help the handloom sector on these three lines, will continue?

श्री अशोक गहलोत : चेयरमैन सर, हमारी कोशिश है कि जो योजना हमारे सदस्य कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि एन.सी.डी.सी. के माध्यम से अधिक-से-अधिक वीवर्स को स्पिनिंग मिल लग सके कोआपरेटिव सेक्टर में । जहां तक यार्न की बात है, हम पहले भी कह चुके हैं कि पूरे देश के वीवर्स को इसकी तकलीफ है और उसे दूर करने के लिए हम एन.एच.डी.सी. के माध्यम से ही सप्लाई कर रहे हैं और दूसरी योजना भी चला रहे हैं । हमारी कोशिश रहेगी कि हम यार्न को सस्ते दाम पर वीवर्स तक पहुंचा सकें ।

Visit made by foreign Secretary to Washington

*322. SHRI KAPIL VERMA†:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Indian Foreign Secretary recently visited Washington to have talks with U.S. officials;

(b) if so, what subjects were discussed and what was the outcome; and

(c) whether the nuclear issue was also discussed; if so, the outcome?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) Yes, Sir.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Verma.